

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

01 दिसंबर, 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी चार पहिया मोटर वाहन फास्टैग युक्त होंगे

Posted On: 02 NOV 2017 8:29PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 01 दिसंबर, 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी चार पिहया मोटर वाहनों पर वाहन के विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर, जैसा भी मामला हो, द्वारा फास्टैग फिट किए जाएंगे। बिना विंड स्क्रीन के ड्राइव अवे चेसिस के रूप में बेचे जाने वाले वाहनों के मामले में फास्टैग वाहन मालिक द्वारा इसके पंजीकरण कराए जाने से पूर्व फिट किए जाएंगे। इस बारे में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

वीके/एसकेजे/डीके - 5290

(Release ID: 1508101) Visitor Counter: 31

f







in